अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 135/2012

विश्वनाथ मॉझी,

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढ़ौरा, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.01.2016	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, के ज्ञापांक 3329 दिनांक 11.10.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि मो0 राशिद आलम, विशेष कार्य पदाधिकरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना एवं मिशिलेश कुमार सिन्हा पणन पदाधिकारी मुख्यालय (सचिवलय) पटना के द्वारा संयुक्त रूप से विभागीय पत्रांक 3972 दिनांक 27.06.2012 के आलोंक में दिनांक 04.09.2012 को जन वितरण विकेता श्री विश्वनाथ मॉझी, अनुज्ञप्ति सं0–135/2007, पंचायत–अमनौर कल्याण, प्रखंड–अमनौर, जिला–सारण के व्यापार स्थल का निरीक्षण किया गया। श्री आलम का जॉच प्रतिवेदन उनके ज्ञापांक 01(पटना) दिनांक 09.09.2012 द्वारा प्राप्त। निरीक्षण के कम में निम्नवत् अनियमितताएँ पाई गई– 1. विकेता की दूकान से संबद्ध अपभोक्ताओं के द्वारा ब्यान दिया गया है कि उन्हें जन वितरण से संबंधित सामग्रियों के वितरण में अधिक मूल्य लिया जाता है कम मात्रा में खाद्यान्न/किरासन तेल की आपूर्ति की जाती है। 2. विकेता की दूकान से संबद्ध लाल कूपनधारी उपभोक्ताओं के द्वारा ब्यान दिया गया कि माह जून–2012 में शतप्रतिशत उठाव होने के बावजूद भी आपके द्वारा कुछ उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की गई है।	

अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापांक 2983 दिनांक 15.09.2012 से विकेता से उक्त अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पा कर अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 3329 दिनांक 11.10.2012 से विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गई जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विकेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। कारण पृच्छा में अंकित जॉच दल के द्वारा कभी भी विकेता की दूकान पर आकर जॉच कार्य नहीं किया गया। विकेता के द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में सामग्री का वितरण किया जाता है। उसके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप ग्रामीण राजनीति से प्रेरित है एवं सरासर गलत है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, आपूर्ति से संबंधित मामले, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि विकेता के द्वारा विभागीय मार्ग दर्शिका के प्रतिकूल आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 3329 दिनांक 11.10.2012) मे कई त्रुटियां नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में कही भी आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं का नाम अंकित नही किया गया है। इस तरह कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। विकेता से प्राप्त जवाब में यदि कोई कमी पाई गई या विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में कोई त्रुटि पाई गई, तो यह आवश्यक था कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता से द्वितीय कारण पृच्छा किया जाता, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण पा कर निरस्त करते हुए यह वाद इस निर्देश के साथ अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा को रिमांड किया जाता है कि वे विकेता से पुनः चिन्हित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण

पूछे, शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं से संबंधित पूर्ण विवरणी उन्हें उपलब्ध कराई जाए, अपने स्तर से सुनवाई की जाए एवं आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विधिसम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 55 / दिनांक 15/01/2016

प्रतिलिपिः—अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा।

15/1/16